इकरारनामा किरायेदारी

श्री ……………………………. पुत्र ………………………………….. निवासी …………………………………………………….. । (उ0 प्र0) ।

.............................. प्रथम पक्ष/मकान मालिक

एवंम्

श्री ……………………………. पुत्र ………………………………….. निवासी …………………………………………………….. । (उ0 प्र0) ।

.............................. व्दितीय पक्ष/ किरायेदार

यहकि प्रथम पक्ष ने अपनी दुकान/घर/प्लाट .......................................... उ0 प्र0, श्री ........................... को किराये पर ता0 ................... से दिया गया है, जिसे 11 माह के लिये किरायेदारी पर व्दितीय पक्ष को निम्न शर्तो व हिदायतों के साथ दिया गया है ।

1. यहकि प्रथम पक्ष व्दारा व्दितीय पक्ष से सिक्योरिटी के तौर पर रू0 .................. रूपया हिन्दी मे .............. चेक/आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराया गया है और व्दितीय पक्ष व्दारा जब किरायेदारी खत्म की जायेगी, तो वापसी कर दिया जायेगा। (आपकी दोनो पक्षो के शर्तो के अनुसार)
2. यहकि प्रथम पक्ष व व्दितीय पक्ष के मध्य मासिक किराया ..................... रूपया ................... प्रति माह तय हो चुका है ।
3. यहकि व्दितीय पक्ष प्रथम पक्ष के प्रत्येक माह की 10 तारीख को किरायेदारी की रकम अदा करेगा।
4. यहकि प्रतिवर्ष किराये मे 5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की बढोत्तरी होगी जो दोनो पक्षो के मध्य परस्पर सहमति से तय हो चुका है, प्रथम बढोत्तरी सितम्बर 2022 से प्रारम्भ होगी तथा प्रतिवर्ष सितम्बर माह से बढोत्तरी होगी रहेगी ।
5. यहकि व्दितीय पक्ष दुकान के निर्माण मे प्रथम पक्ष की अनुमति के बिना कोई बदलाव व निर्माण कार्य नही करेगां और न ही निर्माण को छतिग्रस्त करेगा।
6. यहकि व्दितीय उक्त परिसर मे कोई प्रतिबन्धित गैर कानूनी विस्फोट या अन्य कोई जन विरोधी धार्मिक उनमाद जैसी गतिविधियां नही संचलित करेगा, यदि ऐसा कोई कार्य जिससे पुलिस की कार्यवाही, कार्यपालिका या न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है या प्रथम पक्ष को भी इस दायरे मे आना पडता है, तो प्रथम पक्ष किरायेदारी समाप्त करते हुये अपने खर्चे का समायोजन व्दितीय पक्ष व्दारा जमापेशगी से करते हुये परिसर खाली करवा लेंगा ।
7. यहकि उक्त व्यापार स्थल परिसर केवल तय सुदा व्यापार करने हेतु ही किराये पर दिया जा रहा है, अन्य कोई कार्य व व्यापार पूर्णतयाः प्रतिबन्धित है ।
8. यहकि 11 माह पूरे होते ही प्रथम पक्ष एवंम् व्दितीय पक्ष आपसी सहमति से पुनः इस इकरारनामे की अवधि 11 माह के लिये बढाने के लिये स्वतन्त्र होगें।
9. यहकि व्दितीय पक्ष को समस्त कर गृह/दुकान जैसे- हाउस टैक्स, वाटर टैक्स का वहन स्वंय करेगा, प्रथम पक्ष को गृह/दुकान कर मे कोई देयता नही होगी और समस्त देय कर समय से व्दितीय पक्ष व्दारा जमा कराना होगा।

अतः हम दोनो पक्षो के अपने स्वस्थ मन बुद्धि एवंम् इन्द्रियों की सही अवस्था खूब सोच समझकर बिना दबाव नाजायज के खूब पढ सुनकर साक्षियों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर

बनाकर यह किराया अनुबन्ध पत्र तहरीर व तकमील कर दिया है, कि प्रमाण रहे और समय पर कान आवे।

पहचान के लिये अचल सम्पति का विवरण

नक्शा सीमा व पैमाईश मकान /प्लाट/फलेट/दुकान/फैक्टरी/उद्योगिक प्लाट के केस में

पूर्व : –   —————————- फुट————————————- इंच————————————।

पश्चिम :-   ———————— फुट————————————– इंच————————————।

उतर :-   —————————फुट————————————– इंच————————————।

दक्षिण :-  ————————–फुट————————————– इंच————————————।

स्थित —————————–

हस्ताक्षर गवाहान

1. ........................

**.............................. प्रथम पक्ष/मकान मालिक**

 **.............................. व्दितीय पक्ष/किरायेदार**

1. ..........................

दिनांक – ………………

**तहरीर दिनांक – ................. स्थान कानपुर नगर ।**